

उत्तर देने के लिये निर्धारित प्रपत्र

विभाग का नाम :- दिल्ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड
 विभाग का पता :- 'ए' ब्लॉक, 7वीं तल, विकास भवन, दिल्ली- 110054
 अतारांकित प्रश्न संख्या :-164
 दिनांक :-08/06/2018
 प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री महेन्द्र गोयल
 क्या उपमुख्यमंत्री/ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
क) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में कितने लेबर कार्ड बनाए गए सभी का विवरण उपलब्ध किया जाये	निर्माण एवम अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण का आंकड़ा विधानसभा के अनुसार एकत्रित नहीं किया जाता है। यह आंकड़ा जिला अनुसार बनाया जाता है।
ख) दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाए और	दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी का विवरण इस प्रकार है:- 1. प्रसूति लाभ (नियम 271)- मातृत्व लाभ 30,000/- रु. (केवल दो बच्चों तक) 2. गर्भपात के लिए वित्तीय सहायता (नियम 271 (क) - रु. 3,000/- (पात्रता - पंजीकरण की तिथि से)। 3. पेंशन (नियम 273) - 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन रु. 3,000/- प्रति माह एवं रु. 300/-की वृद्धि हर वर्ष (पात्रता - एक वर्ष की सदस्यता)। 4. मकान खरीदने या बनाने के लिए अग्रिम (नियम 274) - रु. 3,00,000/- तक की राशि का ऋण (पात्रता - दस वर्ष की सदस्यता शेष रहने पर)। रु. 5,00,000/-तक की राशि का ऋण (पात्रता - पंद्रह वर्ष की सदस्यता शेष रहने पर)। 5. अक्षमता पेंशन (नियम 275)- रु. 3,000/- प्रति माह (पात्रता - पंजीकरण की तिथि से)। 6. अपंग (नियम 275) हो जाने पर रु. 1,00,000/- तक की अनुग्रह राशि (पात्रता - पंजीकरण की तिथि से)। 7. निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए ऋण (नियम 276)- रु. 20,000/- (पात्रता - एक वर्ष की सदस्यता)। 8. निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान (नियम 276 (क))- (5 वर्ष में एक बार) रु. 5,000/- (पात्रता - तीन वर्ष की सदस्यता)।

06/06/18
 A. NEDUNCHEZHIAN
 Secretary
 DBOCWW BOARD

9. श्रमिक की मृत्यु पर अन्त्योष्टि के लिए वित्तीय सहायता (नियम 277) रू. 10,000/- (पात्रता - पंजीकरण की तिथि से)।

10. मृत्यु लाभ का भुगतान (नियम 278)- श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु होने पर नामांकित / आश्रितों को रू. 1,00,000/- का मुआवजा/अनुग्रह राशि (पात्रता - पंजीकरण की तिथि से)।

श्रमिक की कार्य के दौरान मृत्यु होने पर नामांकित/आश्रित सदस्य को मृत्यु मुआवजा/ अनुग्रह राशि रू. 2,00,000/- (पात्रता - पंजीकरण की तिथि से)।

11. लाभार्थियों के लिए चिकित्सा सहायता (नियम 280)-

चिकित्सा सहायता अधिकतम रू. 2,000/- तक की राशि पहले दिन से पांच दिन तक एवं रू. 200/- अतिरिक्त दिन के लिए दुर्घटना एवं पालस्ट्र के लिए रू. 10,000/- तक की राशि (पात्रता - पंजीकरण की तिथि से)।

12. शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (पात्रता - (i) से (iii) पंजीकरण की तिथि से एवं (iv) से तक एक वर्ष से अधिक की सदस्यता)।

(i) कक्षा - 1 से 8 तक रू. 500/- प्रति माह।

(ii) कक्षा - 9 से 10 तक रू. 700/- प्रति माह।

(iii) कक्षा - 11 से 12 तक रू. 1000/- प्रति माह।

(iv) स्नातक स्तर रू. 3,000/- प्रति माह

(v) आई.टी.आई. पाठ्यक्रम रू. 4,000/- प्रति माह।

(vi) एल.एल.बी. (पाँच वर्ष) पाठ्यक्रम रू. 4000/- रू. प्रति माह

(vii) पालिटैकनिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम रू. 5000/- प्रति माह

(viii) एल. एल.बी. (तीन वर्ष) पाठ्यक्रम रू. 3000/- रू. प्रति माह

(ix) इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एम.बी.ए. जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए रू. 10,000/- प्रति माह

(ix) दूरस्थ शिक्षा/ओपन लर्निंग स्कूल/कालेज/प्राइवेट अध्ययन और मान्यता प्राप्त

स्कूल/कालेज/संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संदर्भ में - नियमित अध्ययन के लिए स्वीकृत अनुदान का 75 प्रतिशत। यह वित्तीय

सहायता किसी भी रनातक स्तरीय पाठयक्रम के लिए केवल एकबारगी दी जाएगी।

13. विवाह के लिए वित्तीय सहायता (नियम 282)–

स्वयं एवं बच्चों विवाह (केवल दो बच्चों तक) के लिए वित्तीय सहायता – (पात्रता – तीन वर्ष की सदस्यता)–

क)पंजीकृत महिला सदस्य के विवाह पर – रूपये 51,000/–

ख)पंजीकृत पुरुष सदस्य के विवाह पर – रूपये 35,000/–

ग)पंजीकृत सदस्य की पुत्री के विवाह पर – रूपये 51,000/–

घ)पंजीकृत सदस्य की पुत्र के विवाह पर – रूपये 35,000/– (नियम 282)

14 पारिवारिक पेंशन –पेंशनधारक द्वारा प्राप्त की जा रही राशि का 50 प्रतिशत अथवा रू. 1,000/–, इनमें से जो अधिक हो। (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)।

15. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

16. पंजीकृत श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना (नियम 283 (A)) (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

17. पंजीकृत श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों के कौशल विकास के लिए निर्माण अकादमी की स्थापनाक करना (नियम 283 (A)) (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

18. पंजीकृत श्रमिकों को उपयोगिता की वस्तुएँ उपलब्ध कराना(नियम 283(B)) (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)।

ग) लेबर कार्ड धारक बनने की क्या प्रक्रिया और इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची क्या है

लेबर कार्ड धारक बनने की प्रक्रिया की आवश्यक दस्तावेजों की सूची संलगित अनुलंगन "क" में दिया गया है

हस्ताक्षर
विभागाध्यक्ष
A. NEDUNCHEZHIAN
Secretary
DBOCWW BOARD

**PROCESS FOR REGISTRATION OF CONTRACTION WORKER & THE
REQUIRED DOCUMENTS**


Documents/Fees required for the above services:-

- a) Application form for registration in Form No. XXVII
- b) Age proof- Any certificate/document (like voter identity card, ration card, driving license etc) issued by any government agency in the support of the age of applicant. In the absence of any of the above documents, an affidavit by the worker, mentioning his/her age/date of birth, duly attested by the Notary Public.
- c) Employment certificate for 90 days employment in construction sector (Employer/Trade Unions/ Assistant Labour Commissioner)
- d) Local address proof –Anyone from the following documents shall be considered for local address proof.

1.	Ration card with photo
2	Bank /Post Office Pass Book with Photo
3	Water Bill
4	Electricity Bill
5	Land Line Telephone Bill of MTNL
6	Voters identity Card
7	Valid Driving License with Photo
8	Aadhar Card issued by Unique identification Authority of India
9	Passport issued by government of India
10	Income Certificate issued by Divisional Commissioner/Deputy Commissioner/SDM, etc of Government of NCT of Delhi
11	Property /House Tax Receipt
12	Sale deed of Property Registered in the Office of Sub registrar Delhi
13	Rent agreement registered in the office of Sub registrar Delhi
14	90 days employment certificate issued by the employer/contractor in respect of employed worker.
15	90 days employment certificate issued by the registered Construction Worker Union in respect of labour chowk workers.


- e) Permanent address proof(UID/Voter ID)
- f) Bank Account details
- g) Mobile number
- h) 2 Passport size photographs
- i) Registration fees Rs. 5/-(once at the time of Registration) and annual contribution Rs. 20/-

P.T.O.


A. NEDUNCHEZHIAN
Secretary
DBOCWW BOARD

PROCESS FOR REGISTRATION OF CONSTRUCTION WORKERS

Steps performed internally for the service
<ul style="list-style-type: none">• Receipt of application by Board Staff in concerned district• Diary & entry of application in excel format and issuance of provisional receipt• Forwarding to the verifying office (IO/LO) of the concerned district
<ul style="list-style-type: none">• Verification / Checking of documents by verifying officer (IO/LO) of the concerned district.• If documents are not in order, informing short comings to workers.• If documents are found to be in order, forwarding the same to the approving officer/ DLC through LO/ALC of the concerned district.
<ul style="list-style-type: none">• Approval by approving officer/ DLC
<ul style="list-style-type: none">• Information and deposition of the requisite contribution amount by the worker i.e. Rs.25/- (Rs. 20/- annual contribution + Rs. 5/- registration fee) and issuance of receipt for contribution & registration fee.
<ul style="list-style-type: none">• Printing of Pass Book by Board staff in the concerned district.
<ul style="list-style-type: none">• Issuance of Pass Book to the worker.



A. NEDUNCHEZHIAN
Secretary
DBOCWW BOARD

निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण लिए आवश्यक दस्तावेज व प्रक्रिया

1. उपर्युक्त सेवाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज / शुल्क

क) फॉर्म संख्या XXVII में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

ख) आयु प्रमाण - आवेदक की आयु के समर्थन में किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किए गए किसी प्रमाण पत्र / दस्तावेज (जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि)। उपर्युक्त दस्तावेजों में से किसी एक की अनुपस्थिति में, कार्यकर्ता द्वारा शपथ पत्र, उसकी उम्र / जन्म तिथि का उल्लेख, नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत प्रमाणित।

ग) निर्माण क्षेत्र में 90 दिनों के रोजगार के लिए रोजगार प्रमाण पत्र (नियोक्ता/ट्रेड यूनियन / सहायक श्रम आयुक्त द्वारा जारी)

घ) स्थानीय पता प्रमाण - स्थानीय पते प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी माना जाएगा।

1. फोटो के साथ राशन कार्ड फोटो के साथ
2. बैंक / डाकघर पास बुक (फोटों के साथ)
3. जल / पानी का बिल
4. बिजली का बिल
5. टेलीफोन का बिल
6. मतदाता पहचान पत्र (फोटो के साथ)
7. मान्य / वैध ड्राइविंग लाइसेंस
8. आधार कार्ड
9. पासपोर्ट (भारत सरकार द्वारा जारी)
10. दिल्ली सरकार के विभागीय आयुक्त / उप आयुक्त / एस डी एम आदि द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (संभागीय आयुक्त)
11. संपत्ति / हाउस कर रसीद
12. उप रजिस्ट्रार दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत संपत्ति की सेल डीड
13. उप-पंजीयक दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत किराया अनुबंध
14. नियोजित श्रमिक के संबंध में नियोक्ता / ठेकेदार द्वारा जारी 90 दिन रोजगार प्रमाण पत्र।
15. श्रम चौक श्रमिकों के संबंध में पंजीकृत निर्माण श्रमिक यूनियन द्वारा जारी 90 दिन रोजगार प्रमाण पत्र


ड) स्थायी पता प्रमाण (आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र)

च) बैंक खाता विवरण

झ) मोबाइल नंबर

ज) 2 पासपोर्ट आकार की फोटो


i) पंजीकरण शुल्क रु 5 / - (पंजीकरण के समय एक बार) और वार्षिक योगदान रु 20/-


A. NEJUNCHEZHIAN
Secretary
DBOCWW BOARD

निर्माण श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया

2. प्रक्रिया:-

- संबंधित जिले में बोर्ड स्टाफ द्वारा आवेदन की प्राप्ति
- आवेदन की प्रविष्टि व दिनांक और अस्थायी रसीद
- संबंधित जिले के निरीक्षण अधिकारी / श्रम अधिकारी के कार्यालय को प्रेषित करना
- संबंधित जिले के अधिकारी निरीक्षण अधिकारी / श्रम अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की पुष्टि / जांच।
- यदि दस्तावेजों में कमी है तो श्रमिक को उस कमी के बारे में सूचित करना
- दस्तावेजों के सही पाये जाने पर सम्बंधित जिले के निरीक्षण अधिकारी / श्रम अधिकारी द्वारा पास करके उप श्रमायुक्त को भेजना
- अनुमोदन अधिकारी / उप श्रमायुक्त की स्वीकृति
- श्रमिक द्वारा अपेक्षित योगदान राशि 25 / - (रुपये 20 / - वार्षिक योगदान + रुपये 5 / - पंजीकरण शुल्क) और योगदान व पंजीकरण शुल्क के लिए रसीद जारी करना।
- संबंधित जिले में बोर्ड कर्मचारियों द्वारा पास बुक का प्रिंटिंग।
- श्रमिक को पास बुक जारी करना।


A. NEDUNCHEZHIAN
Secretary
DBOCWW BOARD